

एलडिको काउंटी, सेक्टर-09, (बारासिरोही) जवाहरपुरम, कानपुर में  
(दुर्बल आय वर्ग)

ई.डब्ल्यू.एस.(बसेरा) के प्रार्थियों हेतु आवासीय भवनों की योजना

## विवरण पुस्तिका

### 01. योजना का नाम –

- 1.1 प्रस्तावित योजना :- (एलडिको काउंटी परिसर), सेक्टर-09 (बारासिरोही), जवाहरपुरम,  
कानपुर – 209217
- 1.2 विकासकर्ता :- कानपुर विकास प्राधिकरण व एलडिको टाउनशिप्स एण्ड हाउसिंग  
लिमिटेड।
- भवनों के नाम – ई.डब्ल्यू.एस. (बसेरा) (फ्लैट) (दुर्बल आय वर्ग)

### 02. पंजीकरण हेतु पात्रता –

- 2.1 आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- 2.2 आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय (N.R.I.) भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।
- 2.3 आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास कानपुर विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य किसी सरकारी विभाग द्वारा कानपुर में आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड/फ्लैट नहीं होना चाहिए एवं आवेदित सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश में दो से अधिक आवासीय सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए (परिवार से आशय पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है)।

- 2.4 आवेदक की आय दुर्बल आय वर्ग – (ई.डब्ल्यू.एस.) हेतु रू...../– प्रति वर्ष (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)। आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत अपना घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- 2.5 आवेदक को इस हेतु प्रस्तुत घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जो प्रार्थना पत्र के साथ जमा करना होगा।
- 2.6 आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

### 03. आवासीय इकाईयाँ

आवासीय इकाईयों के प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मीटर (रेरा कार्पेट एरिया) (भवन)	क्षेत्रफल वर्ग मीटर (रेरा बिल्टप एरिया)	भवनों की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू. में)	पंजीकरण धनराशि अनुमानित विक्रय मूल्य का रू.5% (पूर्णांक में)	पंजीकरण के पश्चात दिन के भीतर देय धनराशि अनुमानित विक्रय मूल्य का रू. 15% (पूर्णांक में)	अवशेष धनराशि 80% (पूर्णांक में) धनराशि की भुगतान पद्धति
दुर्बल आय वर्ग ई.डब्ल्यू.एस (फ्लैट)	19.029 Sq. Mtr	22.86 Sq. Mtr	56 Nos				

\* कानपुर विकास प्राधिकरण अनुमति प्राप्त कर इकाईयों को आवंटित किया जायेगा

नोट : –

### 04.

- 4.1 प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस (फ्लैट) पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या ..... से ..... पर अंकित मानचित्रों के साथ दी गयी है।
- 4.2 उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
- 4.3 आवंटन के पश्चात वांछित धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में जमा न कराने पर \_\_\_ वार्षिक ब्याज देय होगा।
- 4.4 विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न कराने पर अधिकृत अधिकारी/प्रोजेक्ट मैनेजर कानपुर को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दे।
- 4.5 प्रस्तावित (ई.डब्ल्यू.एस.) के फ्लैट में \_\_\_\_\_ वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया है, फ्लैट में एक लिविंग रूम/बैडरूम हेतु कक्ष, टॉयलेट व किचन स्पेस है।
- 4.6 विकासकर्ता द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।

## 5. छूट

- 5.1 आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 90% धनराशि पर 5% छूट अनुमन्य होगी, किन्तु आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।
- 5.2 आवंटी द्वारा सभी किश्तें समय से जमा करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की \_\_\_\_\_ प्रतिशत धनराशि पर \_\_\_\_\_ की छूट अनुमन्य होगी किन्तु आवंटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटायी जायेगी। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के अन्य देय मदों में समायोजित किया जायेगा।

## 6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसे उसके आवेदन/आवंटित प्लैट उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

## 7. आरक्षण : –

- 7.1 शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा :–

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत %
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	एम.एल.ए./एम.पी. व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवक तथा सुरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उसके आश्रित	03
8.	दिव्यांगों को शासनादेश संख्या 786/आठ-1-25विविध/07 दिनांक 31.01.2008 के अनुसार 03% होरीजेन्टल आरक्षण देय होगा।	

- 7.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में

से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजन्टल होगा।

- 7.3 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- 7.4 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7.5 पैरा 8.3 व 8.1(5) का आरक्षण प्राप्त करने के लिये आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7.6 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।
- 7.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।
- 7.8 ई.डब्ल्यू.एस.(फ्लैट) हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप संलग्न है। सभी ई.डब्ल्यू.एस.(फ्लैट) सामान्य श्रेणी के होंगे।
- 7.9 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।
- 7.10 भविष्य में प्रदेश/केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/नियम व शर्तें यदि इस योजना पर लागू होंगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधित किये जायेंगे।
- 7.11 प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश/नियम शर्तें भी यदि इस योजना पर लागू होती हैं तो उनका भी समायोजन इस योजना पर प्रभावी होगा।
- 7.12 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ.प्र. (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम -1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

## 8. आवंटन :-

- 8.1 प्रत्येक भवन का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लाटरी आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या-1/2418/आठ-1-14-80 विविध/10 दिनांक 26.08.2014 द्वारा गठित समिति के निगरानी में सम्पन्न कराया जायेगा।
- 8.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा।
- 8.3 अप्रवासी भारतीय आवेदकों को भी सामान्य लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
- 8.4 जो प्रार्थी आर्हता की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।
- 8.5 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 8.6 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन-पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी। यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.7 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करे।

## 9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :-

9.1 लाटरी के पश्चात असफल आवेदकों को एक माह के अन्दर धनराशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या एवं बैंक का आई.एफ.सी. कोड अवश्य अंकित करना होगा।

9.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर 20% (जमा पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

## 10. तथ्यों का छिपाना :-

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विकासकर्ता कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, कानपुर में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, एवं अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझे) कर सकते हैं।

## 11. फ्रीहोल्ड शुल्क :-

विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवंटित फ्लैटों का फ्री-होल्ड निबन्धन किया जायेगा, फ्री-होल्ड शुल्क प्राधिकरण के नियमानुसार होगा व वाटर-सीवर शुल्क रू. 5000/- तथा अन्य भुगतान के मदमें रू. 500/- निबन्धन से पूर्व जमा करना होगा।

## 12. फ्लैट्स का कब्जा :-

12.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।

12.2 निबन्धन में आने वाले समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

12.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी, कानपुर को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

12.4 निर्माण पूर्ण करने हेतु दिया गया समय दैविक आपदा, किसानों के आन्दोलन आदि अपरिहार्य स्थिति में बढ़ सकता है।

12.5 आवंटन तिथि से \_\_\_\_\_ माह में सम्पूर्ण भुगतान किये गये आवंटी को फ्लैट के कब्जे का प्रस्ताव न दिये जाने की स्थिति में आवंटी को अपनी जमा धनराशि पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपनी जमा धनराशि वापस लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

**13. शुल्क/कर आदि की देयता :-**

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये कर/शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

**14. अन्य नियम व शर्तें**

- 14.1 आवंटन के पश्चात कानपुर विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 14.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।
- 14.3 एक से अधिक ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का 'अमलगमेशन' अथवा उन्हें जोड़कर एक इकाई/भवन बनाना प्रतिबन्धित होगा।
- 14.4 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का आवंटन लीज-होल्ड के आधार पर किया जायेगा, जिसके विक्रय/हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक प्रतिबन्ध रहेगा तथा उक्त तिथि अवधि के पश्चात ही लाभार्थी के पक्ष में फ्री-होल्ड किया जासकेगा।
- 14.5 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र कानपुर होगा।

**15. पंजीकरण प्रक्रिया :-**

- 15.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू. 200.00 नगद भुगतान पर \_\_\_\_\_ से प्राप्त की जा सकती है।

**16.**

- 16.1 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरें।
- 16.2 पंजीकरण धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर "एल्डिको टाउनशिप्स एण्ड हाउसिंग लिमिटेड" कानपुर के पक्ष में देय होंगे।
- 16.3 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप का रू0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 16.4 पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र \_\_\_\_\_ कानपुर में अंतिम तिथि तक जमा किये जा सकते हैं।
- 16.5 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन के अनुसार होगी।

## 17. आवेदन-पत्र भरने के लिये अनुदेश :-


- 17.1 आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 17.2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की भी व्यवस्था है।
- 17.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।
- 17.4 आवेदन-पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 17.5 आवेदक द्वारा प्रत्येक बार किश्त जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट/चैक के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी एवं एक सप्ताह के उपरान्त वेबसाइट से आप स्वयं भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।

नोट : इस प्रपत्र में इंगित किये गये नियम, शर्तें व आदेश की समस्त विस्तृत जानकारी आपके विक्रय अनुबन्ध में अंकित होगी।

## एलडिको टाउनशिप्स एण्ड हाउसिंग लिमिटेड

फर्स्ट फ्लोर , वीरेंद्र स्मृति कॉम्प्लेक्स, 15/54-बी, सिविल लाइंस, कानपुर -208001

### घोषणा – पत्र



1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा आश्रित/अवयस्क बच्चों एवं तलाकशुदा पुत्री/ के पास कानपुर नगर में, कानपुर विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिशद/अन्य किसी सरकारी विभाग द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड/भवन/प्लैट नहीं है। यदि घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भौति मुझसे वसूल कर ले।
3. यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा/करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता कम्पनी उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में बैंक खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक क्रियाशील रहेगा।
7. मैंने शासनादेश संख्या ..... दिनांक ..... में निर्धारित शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा उसके अधीन इस योजना में भूखण्ड प्राप्त करने की अर्हता रखता हूँ।

साक्षी .....

(आवेदक के हस्ताक्षर)